


21<sup>8</sup>/<sub>20</sub> आज यह फ्रावली वास्ते आदेश उस्तुत नीर्ग  
अपनी केवली उपर है। आपी एवं उने  
वकील अनु है हमने फ्रावली का अध्ययन  
किया। आपत्र धारा 212 RTA खारीज किया  
जाता है। विस्तृत निर्णय पृष्ठ से लिखापा  
आकर संलग्न किया गया। वाद किया जावे।



रूप खण्ड अधिकारी  
बहुपोड, बुलव